दिनांक 07.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 08/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारान

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2023 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिदबना नहर पटरी के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–अखिल 2–सलमान 3–आर्यन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिमांचल प्रदेश व हरियाणा प्रान्त व आसपास के जनपदों से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अखिल निवासी भट्टपुरा थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।

2–सलमान निवासी दलहेडी थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।

3–आर्यन निवासी लक्ष्मी टाउन कॉलोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना चांदपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया एवं 02 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.09.2023 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोबिन्दपुर बिलारी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–दिव्यांशु 2–अंकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया एवं 02 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिव्यांशु निवासी मिर्जापुर थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर।

2–अंकेश कुमार निवासी गहरूखेड़ा थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 चार पहिया एवं 02 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 500 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 06.09.2023 को थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नायरा पेट्रोलपम्प महाबलीपुर के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी निहालखेडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 500 ग्राम अवैध चरस।

एसटीएफः प्रतिबन्धित वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 500 प्रतिबन्धित तोते व तस्करी में प्रयुक्त वाहन अर्टिगा कार बरामद।

दिनांकः 07–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को प्रतिबन्धित वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 तोते (प्रतिबन्धित प्रजाति के) व तस्करी हेतु प्रयोग की जा रही 01 अदद अर्टिगा कार बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. इन्जमाम पुत्र स्व0 अनवार नि0 189 नुरूल्ला रोड, रोशनबाग, प्रयागराज। **(चालक)**
2. मो0 वसीम उर्फ अरमान पुत्र मो0 शमीम नि0 रेलपार ओके रोड, आसनसोल, वर्धमान दक्खिन धधका, पश्चिम बंगाल।
3. मो0 आसिफ पुत्र मो0 रफीक नि0 रेलपार मुसद्दी मार्ग वर्धमान, पश्चिम बंगाल।

बरामदगीः–

1–500 प्रतिबन्धित तोते।

2–01 अदद इर्टिगा कार नं0–यूपी–80–सीएम–7124

3–01 अदद आधार कार्ड।

4–03 अदद मोबाइल फोन।

5–01 पैन कार्ड।

6–नकद 8500/– रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक 07–09–2023 समय 12.45 ए0एम0, बांगड़ धर्मशाला थाना क्षेत्र कीटगंज कमिश्नरेट, प्रयागराज।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतिबन्धित वन्य जीवों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः–07–09–2023 को अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रतिबन्धित वन्य जीवों की व्यापक तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा रामबाग बैरहना प्रयागराज से वाराणसी की तरफ एक अदद अर्टिगा कार नं0–यूपी–80–सीएम–7124 से प्रतिबन्धित पक्षियों/तोते को ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह, उ0नि0 विनय तिवारी, मुख्य आरक्षी संजय सिंह, मुख्य आरक्षी चन्दन भारती, मुख्य आरक्षी पंकज तिवारी, मुख्य आरक्षी सोनू मय वाहन सरकारी की टीम थाना क्षेत्र कीटगंज प्रयागराज स्थित बांगड़ धर्मशाला के पास पहुॅचकर वन विभाग को सूचित कर साथ लेकर मौके पर पहुॅचे तथा बांगड़ धर्मशाला के पास ही उपरोक्त अर्टिगा कार का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् उपरोक्त अर्टिगा कार को बांगड़ धर्मशाला के पास रोककर तलाशी की गयी तो प्या गया कि तोतो को क्रूरता पूर्वक ठूस–ठूसकर 05 पिंजड़ों व प्लास्टिक के बैंग में भरा गया था, जिसपर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी तथा बरामद तोतों को वन विभाग को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों का प्रतिबन्धित वन्य जीवों की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये प्रयागराज से वन्य जीवों/पक्षियों को खरीदकर अन्य राज्यों बिहार, झारखण्ड व पष्चिम बंगाल में ऊँचें दामों में बेचते हैं। अन्य पूछताछ पर अभियुक्त वसीम उर्फ अरमान द्वारा बताया गया कि मैं व मो0 आसिफ दिनांक 04–09–2023 को आसनसोल पश्चिम बंगाल से ट्रेन से प्रयागराज आया। प्रयागराज में मस्तान मार्केट के गुल्फाम से यह बरामद तोते 100 रूपये से लेकर 500 रूपये प्रत्येक तोते को खरीदा तथा स्थानीय मार्केट से ही किराये पर गाड़ी बुक की गयी जिन्हे पूरी जानकारी दी गयी। यह बरामद तोते हम लोग लेकर आसनसोल पश्चिम बंगाल जा रहे थे जहॉ पर यह तोते ऊॅचे दामों में बेंचते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कीटगंज कमिश्नरेट प्रयागराज में मु0अ0सं0–183/2023 धारा–51(1)(1बी) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस व वन विभाग द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य एंव थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद में लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2021 का वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई, जनपद गौतमबुद्धनगर से गिफ्तार।

दिनांक 06–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद में लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2021 का वांछित रू0 50,000/– में वांछित अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई को थाना सेक्टर– 113 नोएडा पुलिस के सहयोग से जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई पुत्र मीरहसन नि0 तितरवाडा, थाना कैराना, जनपद शामली ।

बरामदगीः–

1– 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर

2– 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– 01 अदद मोटर साईकिल नं0 एचआर–60डी8222 (पल्सर)
(जो घटना में प्रयुक्त की गयी है)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सेक्टर –112 में खाली पडे प्लाट के पास थाना सेक्टर– 113 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र, दिनांक 06–09–2023, समय 21:50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री विनोद कुमार, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही भ्रमणशील रहकर की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि डकैती/लूट का शातिर अपराधी मुनव्वर उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई निवासी तीतरवाडा, जनपद शामली, जिस पर जनपद गाजियाबाद से रू0 50,000/– का ईनाम घोषित है, वह सेक्टर–112 नोएडा के खाली पड़े प्लाटों में किसी महिला से मिलने आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त निरीक्षक श्री विनोद कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा तत्काल इस सूचना को प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर– 113 नोएडा से साझा किया गया तथा प्रतिक्रिया करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर, मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई, उपरोक्त को बाद मुठभेड गिरफ्तार कर लिया गया जिससे उपरोक्त बारामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई ने पूछताछ में बताया कि उसकी उम्र करीब 32 साल है और वह पढा लिखा नही है। पूछताछ पर बताया कि उसका (मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाइ) बडा भाई फुरकान अपराधिक घटनाऐ करता रहा था, जो वाजिद काला के संपर्क में था। वाजिद काला, मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसका बड़ा भाई फुरकान वर्ष–2017 में मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मुठभेड में घायल हो गया था, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वह (मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई) अपने बड़े भाई फुरकान के कहने पर अपराध एंव वसूली का काम करता था। फुरकान के जेल जाने के बाद फुरकान ने सरधना के रहने वाले रिहान एंव महताब, मरगूब से मिलवाया था। रिहान एंव महताब, मुकीम काला गैग के सक्रिय सदस्य थे। रिहान एंव महताब द्वारा ही अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई को मुकीम काला के गैंग में शामिल कराया गया था। वह (मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई) इन लोगों के साथ मिलकर लूटपाट की घटनाऐं करने लगा था। उसने (मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई) वर्ष– 2011 में विनोद गडरिया एवं शाहिद तथा रिहान के साथ मिलकर खुरगान ईशोपुर में बैक लूट की योजना बनाई, जिसमें गार्ड को गोली मारकर

लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0स0 325/11 धारा 302/392 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई ने वर्ष 2011 में कस्बा कैराना में विनोद गडरिया, शाहिद एवं रिहान के साथ मिलकर घर में डकैती डाली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0स0 489/11 धारा 395/412 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। वर्ष 2016 में मुनव्वर उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैराना क्षेत्र में 02 लाख रूपये एवं जेवरात आदि लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0स0 297/16 धारा 395/397/412 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। वर्ष 2016 में तीतरवाडा कैराना निवासी सफात मोटा की लीलू नाम के व्यक्ति से रंजिश चल रही थी, फिर उसने (मुनव्वर उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई) सफात मोटा व उसके साला नौशाद के साथ मिलकर लीलू की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0स0 492/16 धारा 302/147 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके बाद वर्ष–2021 में मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई ने मरगूब एवं अबरार के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में स्कार्पियों लूट की घटना करी थी और फिर इस लूट की स्कार्पियों के साथ राजस्थान के भीलवाडा क्षेत्र में लूट की एक बडी घटना को अंजाम देना था लेकिन उससे पहले ही पुलिस की चैकिंग में गाडी छोडकर यह लोग भाग गये थे तथा घटना कारित नही कर पाये थे।

अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई, थाना लोनी जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 284/21 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था और इसी अभियोग में अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के स्तर से रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

क0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	325/11	302/392 भादवि	कैराना	शामली
2	489/11	395/412 भादवि	कैराना	शामली
3	84/12	382 भादवि	कैराना	शामली
4	27/13	2/3 गैगस्टर एक्ट	कैराना	शामली
5	435/14	392/397 भादवि	कैराना	शामली
6	297/16	395/397/412 भादवि	कैराना	शामली
7	311/16	395/411 भादवि	खतौली	मुजफ्फरनगर
8	492/16	302/147 भादवि	कैराना	शामली
9	82/17	420 भादवि	कैराना	शामली
10	30/18	506 भादवि	नई मण्डी	मुजफ्फरनगर
11	433/19	307 भादवि	खेकडा	बागपत
12	487/19	307 भादवि	आदर्श मण्डी	शामली
13	488/19	3/25/27 आर्म्स एक्ट	आदर्श मण्डी	शामली
14	284/21	392 भादवि	लोनी	गाजियाबाद
15	368/23	307 भादवि एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट	सेक्टर–113 नोएडा	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्त मुनव्वर उर्फ मानना उर्फ मन्ना उर्फ छोटा भाई के विरूद्व थाना सेक्टर– 113 नोएडा गौतमबुद्धनगर में मु0अ0सं0 368/2023 धारा 307 भादवि एंव 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय वन्यजीव तस्करों की गिरफ्तारी

दिनांकः 07–09–2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश एवं वन विभाग, लखनऊ के संयुक्त अभियान में भारी संख्या में कछुवे बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफतार अभियुक्तों का विवरणः–

1. विपिन पुत्र जगदीश निवासी– कोकपुरा, फ्रेंड्स कालोनी थाना, जनपद इटावा उत्तर प्रदेश।
2. सुखदेव मण्डल पुत्र बाबू मण्डल निवासी– ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
3. मनोज पुत्र जयराम निवासी– ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

बरामदगीः–

1. 07 अदद कछुए वजन 28–30 कि0ग्रा0 प्रत्येक।
2. 01 अदद रेनो ट्रिबर–यूके–06 बीबी–2394
3. 01 अदद आधार कार्ड।
4. 01 अदद पैन–कार्ड।
5. 01 अदद निर्वाचन–कार्ड।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश ने विगत वर्षो में वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों को संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकरणों में प्रतिबन्धित वन्य जीवों की खाल व हडडी इत्यादि बरामद करते हुए वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। विगत कुछ वर्षो से एस0टी0एफ0 में वन्य जीव अपराधो के विरूद्ध कार्यवाही करने वाली टीम ने कई महत्वपूर्ण सफलतायें अर्जित की हैं, जिसमें कछुओं की बरामदगी भी उल्लेखनीय रही है।

WCCB की एडीशनल डायरेक्टर श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन में टर्टल पोचिंग के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया था। इसी क्रम में उन्होने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से भेंट कर एस0टी0एफ0 में "Zero

Turtle poaching Cell " स्थापित करने का अनुरोध भी किया था, जिस पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने सहमति व्यक्त की थी।

कछुओं की विभिन्न प्रजातियों से समृद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही कछुओं की व्यापक तस्करी की रोकथाम हेतु पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीम उ0नि0 श्री शिवेंद्र सिंह सेंगर, मु0आ0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 कृष्णकान्त, मु0आ0 धीरेन्द्र, द्वारा तस्करों के सम्बन्ध में जमीनी सूचना संकलित की जा रही थी कि आज दिनांकः 07–09–2023 को मुखबिर व WCCB द्वारा प्राप्त एक निश्चित सूचना पर कार्यवाही करते हुए एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की टीम ने उपरोक्त 03 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ में गिरफतार किया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त विपिन ने बताया कि उसका परिवार पूर्व से ही कछुआ तस्करी का कार्य कर रहा है। मेरे पिता जगदीश कछुआ तस्करी के केस में इटावा जेल में बंद हैं। मैं स्थानीय षिकारियों से कछुए खरीदकर करके उन्हें रुद्रपुर निवासी सुखदेव मण्डल के साथ विभिन्न प्रान्तों में भिजवाता हूँ, जिन्हें पश्चिम बंगाल के बड़े व्यापारियों द्वारा विदेश भेजा जाता है।

बरामद कछुओं की देख–रेख एवं घायल कछुओं की प्राथमिक चिकित्सा हेतु वन विभाग एवं टर्टल सरवाईवल एलाइंस को सूचित कर दिया गया है। बरामद कछुओं को न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त उनके नैसर्गिक वातावरण में छोड़ दिया जायेगा। इस गिरोह का अन्तर्राज्यीय विस्तार होने के कारण वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरो को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना दी जा रही है।

————